अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ सम्मान और शिष्ट व्यवहार करने का सख्त अनुदेश है।

(ग) और (घ) एक अपर निजी सचिव ने कुछ निजी कारणों से अपने मूल विभाग में वापस जाने का अनुरोध किया था और उनका अनुरोध मान लिया गया था तथा उन्हें 23 अप्रैल, 1998 को कार्यमुक्त कर दिया गया था।

देश में स्थित आई॰डी॰पी॰एल॰ एकक

1976. **प्रो॰ राम बख्श सिंह वर्मा:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन स्थानों पर आई॰डी॰पी॰एल॰ एकक स्थापित हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने एककों में उत्पादन हो रहा है और कितने एकक बन्द पड़े हैं, और

(ग) पहले तीन वर्ष के दौरान आई॰डी॰पी॰एल॰ को हुए लाभ/घाटे का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल): (क) आई॰डी॰पी॰एल॰ की इकाइयां ऋषिकेश (उत्तर प्रदेश), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), गुड़गांव (हरियाणा), मुजफ्फरपुर (बिहार) और चेन्नई (तमिलनाडु) में स्थित हैं। ऋषिकेश इकाई एक एंटिबायोटिक प्लांट है जिसे प्रपुज एंटिबयोटिक्स बनाने के लिए तैयार किया गया है और यह 1968 में शुरू किया गया था। हैदराबाद इकाई सिन्थेटिक औषध तैयार करने के लिए बनाया गया है और यह 1967 में आरंभ किया गया था। गुड़गांव इकाई एक सूत्रयोग इकाई है। इसे टिकिया और लिक्विड ओरल के लिए 1979 में तथा इन्जेक्टेबल्स के लिए 1980 में आरंभ किया गया था। मुजफ्फरपुर प्लांट को एसिटा-डिहाईड/एसिटक एसिड के उत्पादन के लिए नवम्बर, 1979 में और निकोटनामाइड के उत्पादन के लिए दिसम्बर, 1980 में शुरू किया गया था। यह इकाई 1.4.1994 से बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के नाम में आई॰डी॰पी॰एल॰ की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में बदल दी गयी है। चेन्नई में शल्य चिकित्सा उपकरण और सूत्रयोग यूनिट अब केवल शल्य चिकित्सा उपकरण बना रही है। यह यूनिट भी 1.4.1994 से आई॰डी॰पी॰एल॰ (तमिलनाडु) के नाम में आई॰डी॰पी॰एल॰ की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदल दी गई है।

(ख) ऋषिकेश, हैदराबाद और गुड़गांव की आई॰डी॰पी॰एल॰ इकाइयों में अक्तूबर, 1996 से उत्पादन बन्द हो गया है। सयंत्रों के केवल उत्पाद अग्रिम के लिए अत्यावश्यक उत्पादन हो रहा है। आई॰डी॰पी॰एल॰ (तमिलनाडु), पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी में निम्नतर पैमाने पर उत्पादन हो रहा है जबकि मुजफ्फरपुर स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी में उत्पादन नहीं हो रहा है।

(ग) (रुपए लाख में)

वर्ष	कुल लाभ/(हानि)	शुद्ध लाभ/(हानि)
1965-66	35	(56)
1966-67	117	(35)
1967-68	70	(232)

रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

1977. **श्री दिलीप सिंह भूदेव:**
श्री अखिलेश दास:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश ने अब तक रसायन और उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है,

(ख) क्या सर्वाधिक मांग और कम आपूर्ति के बीच के अन्तर को पाटने और उर्वरक उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं,

(ग) क्या सरकार आज भी आयातित यूरिया पर निर्भर है जिसके परिणामस्वरूप राजकोषीय धन में कमी आ रही है, और

(घ) क्या सरकार ने देश को यूरिया के उत्पादन में स्वावलम्बी बनाने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना तैयार की है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल): (क) से (घ) देश ने मूल रसायनों के मामले में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है किन्तु कुछ विशिष्ट रसायनों का आयात करना पड़ता है।

उर्वरक के क्षेत्र में 1997-98 के दौरान उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन संयुक्त रूप से नाइट्रोजन तथा फास्फेट न्यूट्रिएंट्स की अनुमानित खपत का लगभग 86.6 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। पोटाश न्यूट्रिएंट्स की समस्त आवश्यकता को आयात करके पूरा करना होगा क्योंकि देश में पोटाश के वाणिज्यक दोहन के लिए कोई ज्ञात भण्डार नहीं हैं।

उर्वरकों की मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अन्तर को आयात के द्वारा पूरा किया जाता है। स्वदेशी उर्वरक उद्योग को अनेक उपायों के जरिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें यूरिया के लिए लागू प्रतिधारण मूल्य तथा राज सहायता योजना और उर्वरकों के उत्पादन/संवितरण की लागत तथा उर्वरक परियोजनाओं की पूंजीगत लागतों को कम करने के लिए अभिकल्पित रियायतें शामिल हैं। फॉस्फेटीय तथा पोटाशीय उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की योजना से स्वदेशी उद्योग को अपना इष्टतम उत्पादन करने में भी सहायता मिली है।

1995-96 से आयातित यूरिया के संबंध में राजसहायता के बहिर्गमन तथा यूरिया के आयात स्तर में कमी आयी है, जबकि यूरिया की खपत में कुल मिलाकर पर्याप्त वृद्धि हुई है। प्राकृतिक गैस जो कि नाइट्रोजनीय उर्वरकों के लिए फीडस्टॉक है, की उपलब्धता में अड़चनों को देखते हुए यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता नीतिमूलक उद्देश्य नहीं है।

Memorandum for setting up a Special Cell in CBI for effective prosecution of Union Carbide Officials

1978. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have received a memorandum from the victims of Bhopal gas tragedy urging the Prime Minister to set up a Special Cell in the CBI for effective prosecution of Union Carbide Officials;

(b) if so, the details of the memorandum submitted; and

(c) the steps Government propose to take on the points raised in the memorandum?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) to (c) A representation was submitted on behalf of the victims to the then Hon'ble Prime Minister proposing that a Special cell with adequate legal, technical and scientific competence and open to participation by representatives of survivors/organisation must be set up to supervise the prosecution of the accused corporations and officials.

The trial in the Bhopal Gas Tragedy case is being conducted by an experienced and senior legal officer of CBI who has been handling this case since the beginning and is aware of all the facts and nuinces of the case. Therefore, there is no need to set up a Special Cell.

Revival of units of HFC and FCI

1979. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the revival measures taken so far for units of Hindustan Fertilizer Corporation and Fertilizer Corporation of India since their reference to BIFR in 1992;

(b) manpower as on today vis-a-vis manpower in 1992;

(c) capital investment made so far against standing charges (year-wise for each unit); and

(d) chronological details of the committees which had examined and studied revival measures of HFC and FCI?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) The revamp of the Namrup units of Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. (HFC) has been approved at an estimated fresh investment of Rs. 350 crore. The company has taken concrete steps towards the implementation of the revamp project and is tying up the necessary inputs and term loans. The proposal in respect of the remaining units of HFC and Fertilizer Corporation of India Ltd. (FCI) to be submitted to the Board for Industrial and Financial Reconstruction will be finalised on considerations of unitwise viability and tie up of the funding arrangements.

(b) The position in respect of the manpower of HFC and FCI is as under:—

	HFC	FCI
April '92	9642	9930
June '98	8196	7188

(c) The production in Namrup II and Durgapur units of HFC and Gorakhpur units of HFC has been discontinued/suspended. The capital investment (CI) made in these units